न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/91/2018

शिवनाथ पुत्र श्री चिमना जाति जाट निवासी ग्राम बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादी

बनाम

1. रामकरणसिंह पुत्र सुल्तान
2. सुभाष पुत्र सुल्तान
3. सुनीता पुत्री सुल्तान
4. गुमानीदेवी पत्नी सुल्तान
5. सिणगारीदेवी पत्नी भगवानाराम
6. सोनीदेवी पत्नी भींवाराम
7. शीशपाल पुत्र चिमना
8. रतनाराम पुत्र चिमना
9. सुरेन्द्र पुत्र सांवरमल
10. श्रवण पुत्र सांवरमल
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
11. शाखा प्रबंधक, पी.एन.बी. शाखा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
12. शाखा प्रबंधक, क्षैत्रीय बड़ौदा राज. ग्रामीण बैंक, शाखा बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
13. पटवारी हल्का, पटवार हल्का दिसनाऊ, तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
14. गिरदावर, गिरदावर हल्का बलारा, तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
15. उपपंजीयक, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
16. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:निर्णय:– **दिनांक–05.06.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि आराजी खेत खसरा नम्बर 103 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 5.1600 हैक्टेयर तन ग्राम बैरास, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) की सीमा अवस्थित है एवं भूमि खसरा 227 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 3.6200 हैक्टेयर तन ग्राम दिसनाउ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) की सीमा में अवस्थित है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात का कई वर्षो पुर्व मौके पर पारिवारिक बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त है, खसरा नम्बर 148 रकबा 5.1600 हैक्टेयर में से वादी का रकबा 1.29 हैक्टेयर, है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का रकबा 1.29 हैक्टेयर है, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 8 का रकबा 1.29 हैक्टेयर है, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0100 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7 ता 8 का शामलाती कुआ है। खसरा नम्बर 103 रकबा 0.9300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वादी का अकेले का कब्जाकाश्त बंटवारे के अनुसार है। खसरा नम्बर 73 रकबा 3.6200 हैक्टेयर तन ग्राम दिसनाउ, जिस पर मौके पर कब्जाकाश्त बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 का रकबा 1.81 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 8 का रकबा 1.81 हैक्टेयर है भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 4.7400 हैक्टेयर जिसमें वादी का कब्जेशुदा दर रकबा 1.2364 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का कब्जेशुदा रकबा 1.9108 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जेशुदा रकबा 0.9809 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या5 का कब्जेशुदा रकबा 0.9809 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 10 का 0.9809 हैक्टैयर हक, हिस्सा है। इसी कदर इनका मौके पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 8 का राजस्व रिकॉर्ड में रतना पुत्र सुखा नाम सहवन से दर्ज हो गया, इनका वास्तविक नाम रतना पुत्र चिमनाराम है। यह कि पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक हक, हिस्से के अनुसार काश्त न करके पूर्व में हुए बाहमी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ही काबिजकाश्त चले आ रहे हैं तथा कब्जेकाश्त के अनुसार ही वादग्रस्त आराजियात

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

का बमुताबिक हिस्सा उद्घोषित, विभाजन, अलग खाता, अलग–2 नक्शा ट्रेस मुताबिक इन्द्राज दुरुस्ती करवायें जाने के कानूनन अधिकारीगण हैं।

यह कि वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों का आज दिन तक कोई विधिवत (कानूनी बंटवारा) नहीं हुआ है, सभी भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में सयुक्त व सम्मिलित हैं, किन्तु वर्तमान समय में काश्तकार ज्यादा हो जाने की वजह से सयुक्त रुप से काश्त कर पाना सम्भव नहीं रह गया है तथा वादी की काश्त में अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कई बाद दखलन्दाजी की जा चुकी है, प्रत्येक काश्तकार अपने हिस्से से अधिक भूमि जोतने को प्रयासरत रहते हैं, इस कारण वाद–पत्र की मद संख्या 2 में अंकित हक, हिस्से के मुताबिक विवादित भूमियों का विभाजन स्वीकार करवाया न्यायोचित है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा किन्तु पिछले 2 रोज से प्रतिवादीगण विभाजन करवाने से इन्कार हो गये तथा बिना विभाजन के भूमियों का बेचान करने की धमकी देकर वादी को काश्त व लाट–बाट में बेजा दखल देने पर उतारु हैं, इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाया जाना न्यायोचित है, तद्हेतु वादी को यह वाद पेश करना लाजिमी हुआ है।

यह कि विवादित भूमियां ग्राम बैरास व दिसनाउ, पटवार हल्का दिसनाउ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 राजस्व अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं जिनके खिलाफ 2 माह पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु काश्त का समय नजदीक आने से मान्य न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त कर बिना नोटिस दिये ही यह वाद धारा 80 (2) के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वाद–पत्र उचित कोर्ट फीस पर सादर सावधि प्रस्तुत है।

यह कि वादी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है–(क) कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 5.1600 हैक्टेयर में वादी का रकबा 1.29हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का रकबा 1.29 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 7 का रकबा 1.29 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 8 का रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0100 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7 ता 8 का शामलाती कुआ है। खसरा नम्बर 103 रकबा 0.9300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वादी का अकेले का कब्जाकाशत बंटवारे के अनुसार है। खसरा नम्बर 73 रकबा 3.6200 हैक्टेयर तन ग्राम दिसनाउ, जिस पर मौक पर कब्जाकाश्त बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 का रकबा 1.81 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 8 का रकबा 1.81 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 4.7400 हैक्टेयर जिसमें वादी का कब्जेशुदा रकबा 1.2364 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का कब्जेशुदा रकबा 1.9108 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जेशुदा रकबा 0.9809 हैक्टेयर प्रतिवादी सख्या 5 का कब्जेशुदा रकबा 0.9809 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 10 का 0.9809 हैक्टेयर हक, हिस्सा उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलब पट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग नक्शा ट्रेस में तरमीम फरमाया जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात में से वादी को बलात् बेदखल करने से, नींव–सींव, तोड़फोड़ करने से, कच्चा–पक्का निर्माण करने से सदैव के लिए बाज रहें। (ग) कि खर्चा मुकदमा एवं अन्य न्यायोचित सहायताऐं जो वादी के पक्ष में हों, प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प दिसनाऊ में पेश हुई। जिसमें कैम्प स्थल पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया। उपस्थित उभयपक्ष ने राजीनामा मय नजरी नक्शा को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक नजरी नक्शा में अंकित हिस्से अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। केम्प स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें प्रस्तुत दोनों राजीनामा मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में उभयपक्ष सहमत है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ःआदेशः–

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि, वाके ग्राम दिसनाऊ में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 5. 1600 हैक्टेयर में से वादी को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पूर्व दिशा में), प्रतिवादी सं. 7 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पूर्व दिशा में), प्रतिवादी सं. 8 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में),

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 103 रकबा 0.9300 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0100 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 73 रकबा 3.6200 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 7 को 1.81 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर दिशा में), प्रतिवादी सं. 8 को 1.81 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण दिशा में), खसरा नम्बर 227 रकबा 1.3500 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 5 को 0.6750 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पूर्व दिशा में) व प्रतिवादी सं. 9 व 10 को 0.6750 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पूर्व दिशा में), खसरा नम्बर 228 रकबा 4.7400 हैक्टेयर में वादी को 1.2364 हैक्टेयर(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को 1.9108 हैक्टेयर हिस्सा का(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 6 को 0.9809 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 3 को 0.3509 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में) व प्रतिवादी सं. 9 व 10 को 0.3509 हैक्टेयर हिस्से का (दक्षिण–पश्चिम दिशा में) काबिज, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट दिसनाऊ में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– दिसनाऊ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

शिवनाथ बनाम रामकरणसिंह आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 91/2018 **निर्णय दिनांक– 05.06.2018**

वादी............ व प्रतिवादीगण.......... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.06.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि, वाके ग्राम दिसनाऊ में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 5.1600 हैक्टेयर में से वादी को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पूर्व दिशा में), प्रतिवादी सं. 7 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पूर्व दिशा में), प्रतिवादी सं. 8 को 1.29 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में), खसरा नम्बर 103 रकबा 0.9300 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0100 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी को हिस्से का, खसरा नम्बर 73 रकबा 3.6200 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 7 को 1.81 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर दिशा में), प्रतिवादी सं. 8 को 1.81 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण दिशा में), खसरा नम्बर 227 रकबा 1.3500 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 5 को 0.6750 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पूर्व दिशा में) व प्रतिवादी सं. 9 व 10 को 0.6750 हैक्टेयर हिस्से का(दक्षिण–पूर्व दिशा में), खसरा नम्बर 228 रकबा 4.7400 हैक्टेयर में वादी को 1.2364 हैक्टेयर(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को 1.9108 हैक्टेयर हिस्सा का(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 6 को 0.9809 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में), प्रतिवादी सं. 3 को 0.3509 हैक्टेयर हिस्से का(उत्तर–पश्चिम दिशा में) व प्रतिवादी सं. 9 व 10 को 0.3509 हैक्टेयर हिस्से का (दक्षिण–पश्चिम दिशा में) काबिज, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आज तारीख 05.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)